FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, हनुमानगढ़

वादपत्र सं0 74/2023 सीएनआर RJHG010014422023

सुभाषचन्द्र बनाम इन्द्राज

तारीख आदेश	आदेश या कार्यवाही न्यायाधीश के लघु हस्ताक्षर सहित	
15.01.2025	अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली एकपक्षीय साक्ष्य वादी पर नियत है। वकील वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी इन्द्राज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश फरमाये गये हैं। प्रतिवादी इन्द्राज के मृत्यु दिनांक 15.09.2024 को हो चुकी है। अतः आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी के तहत विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान कर विधिक वारिसान की तलबी से उन्मोचित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में आदेश 22 नियम 4(4) सीपीसी के अनुसार ''न्यायालय जब कभी वह ठीक समझे, वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा, मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो'' पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 05.08.2023 को प्रतिवादी इन्द्राज के न्यायालय में उपसंजात न होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः ऐसे में प्रतिवादी की मृत्यु उपरान्त आदेश 22 नियम 4(4) सीपीसी के प्रावधानों के तहत वादी को संबंधित प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाती है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य वादी दिनांक 05.03.2025 को पेश हो। Sd/- अपर जिला न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ़	